

## आयुष चिकित्सा प्रतपूरतनीतिका मसौदा तैयार

### चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आयुष चिकित्सा प्रतपूरतनीतिके मसौदा को मंजूर किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- इस नीतिका उद्देश्य राज्य सरकार के सभी लाभार्थियों तक अपनी पहुँच के माध्यम से आयुष प्रणाली का उत्थान करना है।
- चूँकि इन लाभार्थियों में से अधिकांश आयुष चिकित्सा पद्धतिके तहत अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सूचीबद्ध आयुष अस्पताल नहीं होने के कारण उन्हें अपने बलियों की प्रतपूरत करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए आयुष चिकित्सा प्रतपूरतनीतिका मसौदा तैयार किया गया है।
- इस नीतिके अनुसार, सभी सरकारी आयुष संस्थान, नजी आयुष अस्पताल, जनिके पास एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रवेश स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र हैं, उन्हें इस नीतिके तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे आयुष नजी चिकित्सकों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे अपने अस्पतालों को सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
- हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित राज्य सरकार के तहत आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में पैसेंट के रूप में दाखल होकर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं।
- कुछ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की पुरानी बीमारी के रोगियों के बाह्य उपचार के दौरान भी प्रतपूरतकी जाएगी क्योंकि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों में बाह्य रोगियों को उपचार कराने के लिये कोई दवा नरिधारित नहीं है।
- नश्चिति पैकेज दरों को आयुष की सभी धाराओं अर्थात आयुर्वेद (96 पैकेज), योग (27 पैकेज) और प्राकृतिक चिकित्सा (30 पैकेज), यूनानी (85 पैकेज), और सदिध (49 पैकेज) में परभाषित किया गया है।
- इस नीतिके तहत सूचीबद्ध नजी अस्पताल कर्मचारियों से नश्चिति पैकेज दरों पर शुल्क लेंगे, जिसकी प्रतपूरतबाद में संबंधित विभाग को बलि जमा करने के बाद की जाएगी। कमरे का करिया भी कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार तय किया जाएगा, जो संबंधित अस्पताल द्वारा पात्रता के अनुसार लिया जाएगा और पूरी तरह से प्रतपूरतयोग्य होगा।
- राज्य के सूचीबद्ध नजी अस्पतालों में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के माध्यम से इनडोर दाखल होने के दौरान गैर-पैकेज उपचार के मामले में भी कमरे के करिया की पात्रता, प्रयोगशाला दरों और प्रवेश के दौरान दी गई दवाओं की लागत के बराबर प्रतपूरतकी जाएगी।
- इस नीतिके तहत दवाओं की प्रतपूरतयोग्य सूची भी तैयार की जाएगी, जो नजी आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में इनडोर प्रवेश के दौरान पूरी तरह से प्रतपूरतयोग्य होगी।